ालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

न्यायालय

बनाम

किस्म मुकदमा ______ मु. नं. ______ वर्ष ______

दिनांक	आज्ञा-पत्र
23/9/19	पत्रा० पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रा० दि० 30-9-19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर
30/9/19	पत्रा० पेश हुई वकील प्रार्थी हाजिर प्रा-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर सादिर किया गया। पत्रा० फैसला मुताबिक होकर नियम से दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय, सीकर

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव (आर.ए.एस)

आर. संख्या 67/2014

1. अब्दुल गनी पुत्र यासीन खां
2. रहमत बानो पत्नी स्व0बाबू खां उर्फ गुलाम कादिर
3. इमरान पुत्र बाबू खां उर्फ गुलाम कादिर

समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण किरडोली तहसील धोद जिला सीकर

4. जन्नत बानो पत्नी स्व0 कुरड़ा
5. ताज मोहम्मद पुत्र कुरड़ा
6. शेकत पुत्र कुरड़ा
7. रोशन खां पुत्र अजीमुदीन
8. मुमताज खां पुत्र भगतावर खां

समस्त जाति सिक्का मुसलमान निवासीगण ग्राम किरड़ोली तहसील धोद जिला सीकर

– प्रार्थीगण –

बनाम

1. रिछपाल पुत्र रामनारायण
2. प्रेमसुख पुत्र उकांरमल
3. विमलकुमार पुत्र उकांरमल
4. पन्नालाल पुत्र मोहनलाल
5. महावीर प्रसाद पुत्र मोहनलाल
6. प्रहलाद पुत्र छोटेलाल
7. विधाधर पुत्र छोटेलाल समस्त जाति ब्राहम्ण (पुरोहित) निवासीगण ग्राम किरड़ोली तहसील धोद जिला सीकर
8. उप पंजियक, धोद जिला सीकर
9. हल्का पटवारी किरड़ोली तहसील धोद जिला सीकर
10. तहसीलदार धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार

– अप्रार्थीगण –

अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थित वकील प्रार्थीगण – श्री प्रभातीलाल
वकील अप्रार्थीगण – ———

निर्णय

दिनांक – 30.9.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का मय वाद के प्रस्तुत किया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एवं परफोरमा प्रतिवादी संख्यचा 11 ता 15 के कब्जा काश्त की पैत्रिक कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 99, 100, 448, 654, 655, 656, 657 किता 7 कुल रकबा 7.26 है0 ग्राम किरड़ोली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है । जिसके पुराने खसरा नम्बर 359/2 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, 409 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, 426 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 अथवा इनके पूर्वज का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। उक्त भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व प्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज अलीम खां , फतेह खां तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं परफोरमा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 के पूर्वज भूरे खां के क्रमशः 21 बीघा खाम प्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 एवं परफोरमा प्रतिवादी संख्या 13 के वूंज कुरड़ा के 15 बीघा खाम, प्रार्थी संख्या 7 एवं परफोरमा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के पूर्वज अजीमूदीन पुत्र भगतावर खां के 15 बीघा खाम एवं प्रार्थी संख्या 8 एवं उसके पूर्वज के 15 बीघा खाम अर्थात कूल 66 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार काबिज थे। जो प्रार्थीगण एवं परफोरमा प्रतिवादीयगण को अपने उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिसको अपने अपने हिस्से के अनुसार निरन्तर काबिज हैं। विवादित भूमियों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय प्रार्थी संख्या 1 का पूर्वज अलीम खां पुत्र महमद खां जमाबंदी संवत 2013 से 2016 के यअनुसार खातेदार था परन्तु उक्त कृषिभूमि को सभी प्रार्थीगण एवं परफोरमा प्रतिवादीगण के पूर्वज आवेदन की मद संख्या 4 के अनुसार काबिज होकर काश्त करते थे व लगान अदा करते थे। प्रथम सेटलमेण्ट के दौरान भू– प्रबधं के कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थीगण के पूर्वज रामनारपाण, उंकारमल, छोटेलाल, मोहनलाल पुत्रगण गोबिन्दराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया । उक्त चारों ने उक्त भूमि को कभी काश्त नहीं किया ना ही लगान अदा की । इन चारों के स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगण ने बसाजिस विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया। दिनांक 14.7.2014 को गांव में 5–7 अजनबी व्यक्ति आये जिन्होने उक्त भूमि में अपना नाम दर्ज होने की बात कहकर उक्त भूमि की लोकेशन बताने को कहा तो प्रार्थीगण को ग्रामीणों ने जानकारी दी । उनका ना तो कब्जा काश्त उक्त भूमि पर है ना ही वह किरड़ोली में रहते है।

Riy

उनका राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरित प्रभव पड़ रहा है। प्रार्थीगण का कब्जा 60 वर्ष से अधिक होने के करण मुखफलाना कब्जा के आधार पर भी प्रार्थीगण एवं परफोरमा प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थीगण जबरन बेदखल कर सकते है व गलत खातेदारी की आड़ में भूमि को मुतंकिल कर सकते है। अतः इन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई।

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सूनी गई जो मुताबिक आवेदन रही। हमने बहस पर बगौर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु तीन बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** – पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2066 से 69 में खसरा नम्बर 99, 100, 448, 654, 655, 656, 657 किता 7 कुल रकबा 7. 26 है0 ग्राम किरड़ोली में रिछपाल पुत्र रामनाराण, प्रेमसुख विमलकुमार पि. उंकारमल हि0 1/2, पन्नालाल,महावीरप्रसाद पिता मोहनलाल हि. 1/4, प्रहलाद, विधाधर पि. छोटेलाल हि0 1/4 कोम पुरोहित ब्राहम्ण सा. देह दर्ज है। जमाबंदी सवंत 2046–2049 में उक्त के पूर्वजों के नाम दर्ज हैं। पत्रावली के संलग्न जमाबंदी सम्वत 2013–16 ग्राम किरड़ोली के खसरा नम्बर 359/2 व 409 के भूमि अधिकारी के कालम में अलीम खां मजकूर दर्ज है तथा कृषक के विवरण के कॉलम में रामनारायण, ओंकारलाल, छोटेलाल, मोहनलाल पिसरान गोविन्दराम प्रोहित साकिन देह बकाश्त अलीम खां पुत्र महमद खां कौम कायमखानी सा. देह दर्ज है। संवत 2014 से 2017 की गिरदावरी में पुराने खसरा नम्बर 359/2 में भूमि अधिकारी के कॉलम में अलीम खां पुत्र महमद खां व फतेह खां पुत्र बहादुर खां दर्ज है उपकृषक के कालम में रामनारायण, ओकरमल, छोटेलाल, मोहनलाल पिता गोविन्दराम प्रोहित सा. देह बकाश्त अलीम खां पुत्र महमद खां वगैरह दर्ज है। खं. न0 409 में भूमि अधिकारी के कालम में अलीम खां वगैरह बशरह ख. नं. 359/2 दर्ज है व उपकृषक के कॉलम में रामनारायण, ओकरमल, छोटेलाल, मोहनलाल पिता गोविन्दराम प्रोहित सा. देह दर्ज है। पुराने ख. नं. 426 अप्रार्थीगण के पुर्वजों के नाम दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 359/2 के नये खसरा नम्बर 99 व 100 बने है, ख0 नं0 409 से नया ख0नं0 448 बना है तथा पुराने खसरा नम्बर 426 से 448, 654 से 657 बनना प्रमाणित हैं प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा काश्त 60 वर्ष से भी अधिक समय से बताया जा रहा है। पुराने रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण एवं प्रफोरमा प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी प्रफोरमा का हक अधिकारों का निस्तारण साक्ष्य सबूत के

3. सुविधा का संतुलन – प्रार्थीगण विवादित भूमियों पर अपना कब्जा काश्त लागातार 60 वर्ष से भी अधिक समय से बताकर आ रहे है । अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

4. अपूरणिय क्षति – उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि यदि अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जे के कारण एवं भूमि को हस्तान्तरित करने के कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

आज्ञा

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे तादौराने वाद विवादित भूमि खसरा नम्बर 99, 100, 448, 654, 655, 656, 657 किता 7 कुल रकबा 7. 26 है0 ग्राम किरड़ोली तहसील धोद, जिला सीकर की भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर